

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में संविदा आधारित, पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के संविदा पर चयन हेतु आम सूचना।

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक WDP/8/16/2005/845, दिनांक 04.05.2016 कार्यालय पत्रांक 966, दिनांक 06.08.2006, पत्रांक JEPIC/WDP/8/16/1244, दिनांक 18.05.2010 एवं पत्रांक MRE/33/07/2004-05/2482, दिनांक 27.09.2022 के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के चयन हेतु निम्नांकित पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से दिनांक 07/11/22 से दिनांक 22/11/22 तक अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रं. स.	पद का नाम	पद की संख्या	कोटि	न्यूनतम योग्यता
1.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-भाषा	2	अनारक्षित-01 अनु0जाति-01	1. शैक्षणिक अहर्ता-किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता, उच्चतर शैक्षणिक अहर्ताधारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी परन्तु अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जायेगा।
2.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-गणित	5	अनारक्षित-02 अनु0जाति-01 अनु0ज0 जाति-02	2. प्रशैक्षणिक अहर्ता-मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता।
3.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-विज्ञान	2	अनारक्षित-01 अनु0जाति-01	3. शिक्षक पात्रता परीक्षा-झारखण्ड सरकार द्वारा आयोजित कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण। गिरिडीह जिला के लिए निर्धारित जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा यथा संथाली/खोरठा/कुरमाली में से किसी एक के साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण
4.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-सा0 विज्ञान	1	अनारक्षित-01	

+

MF



5.	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-शारीरिक शिक्षिका	7	अनारक्षित-03 पि.व.-02 अ.पि.व.-01 अनु.जाति0-01	1.मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के साथ 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण। 2.मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शारीरिक शिक्षा में बी.पी.एड/डी.पी.एड. उत्तीर्ण
----	--	---	--	---

- नोट:-अनारक्षित, अ.पि.व.-अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पि.व.-पिछड़ा वर्ग, अ.जा.-अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.-अनुसूचित जनजाति
- मासिक परिलब्धि-क्रं.सं. 01 से 04 तक 10000/- (दस हजार रुपये प्रतिमाह) तक कं.सं. 5 के लिए 8000/- (आठ हजार) देय होगा।

आवेदन हेतु निम्न शर्तें:-


1. स्थानीय निवासी की पहचान एवं परिभाषा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प 3198 दिनांक 18.04.2016 के आधार पर किया जायेगा। इस संबंध में न्यूनतम अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. झारखण्ड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प के आलोक में सरकार के अपर मुख्य सचिव के ज्ञापांक 14/स्थानीयता नीति 04/2018 का0-3854 दिनांक 01.06.2018 कंडिका 3 (क) में निहित वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु अगले 10 वर्षों तक मात्र संबंधित के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा।  
अतः मात्र गिरिडीह जिला के स्थानीय निवासी ही इस रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति हेतु इसके पात्र माने जायेंगे।
3. जिस कोटि के अंतर्गत आवेदक अपना आवेदन देंगे। उस कोटि के विरुद्ध नियमानुसार संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षिका पद हेतु अनारक्षित पिछड़ा वर्ग (BC-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 38 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होगी।
4. उपरोक्त उम्र की गणना दिनांक 01.10.2022 के आधार पर की जायेगी।
5. उपर्युक्त पद लघुकालीन संविदा आधारित है। भविष्य में आपके द्वारा किसी भी प्रकार की स्थायीकरण की मांग नहीं की जा सकती है।
6. केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेंगे।


✍

✍



7. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. लिफाफे के उपर बड़े-बड़े एवं साफ अक्षरों में आवेदित पद का नाम, विषय एवं कोटि अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. लिफाफे के उपर साफ अक्षरों में पद एवं कोटि अंकित नहीं रहने पर आवेदन स्वतः रद्द माना जायेगा।
10. दिनांक 07/11/22 से दिनांक 22/11/22 तक अपराहन 05:00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त को ही स्वीकार किया जायेगा।
11. आवेदन पत्र भेजने का पता-जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह, विज्ञान भवन झण्डा मैदान, गिरिडीह, पिन कोड 815301
12. उपर्युक्त विज्ञापन को रद्द/संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
13. आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाईट [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) पर उपलब्ध होगा।
14. उक्त विज्ञापन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

  
जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
गिरिडीह।

  
उपायुक्त,  
गिरिडीह।



### Jharkhand Education Project ,Giridih APPLICATION FORM

(For selection in Residential KGBV schools under Samagra Shiksha)



1. Post Applied for:.....  
(Fulltime Math/ Science/ Social Science/ Language teacher,  
Fulltime Accountant-cum-Computer Operator,  
Fulltime Cook/ Fulltime Guard)

2. Name of the District for which application has been submitted:.....

3. Name of Applicant :

a. (देवनागरी लिपि में) :.....

b. (in English, Block letters) :.....

4. Name of Father/ Husband:.....

5. Date of Birth :

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

6. Permanent Address: .....  
.....  
.....  
..... Pin Code:..... State:.....

7. Address of Correspondence:.....  
.....  
.....

8. Sex (Female only eligible): .....

9. Reservation Category (ST/SC/BC-I/BC-II/UR/EWS) :.....

10. If belong to disabled category of disability and percentage (Disability Certificate  
should be attached) :.....

11. Contact No:.....